

न्यायालय:- साजिद मोहम्मद, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
चन्देरी जिला-अशोकनगर (म.प्र.)

दांडिक प्रकरण कं.-420 / 15
संस्थापित दिनांक-07.02.2015

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :- आरक्षी केन्द्र चंदेरी जिला अशोकनगर।	
.....अभियोजन	
विरुद्ध	
1- रामदास पुत्र लाडले आदिवासी उम्र 50 साल 2- श्रीमती रामकली बाई पत्नी रामदास उम्र 40 साल 3- उर्मिलाबाई पुत्री रामदास पत्नी अजय सिंह उम्र 20 साल 4- विमलाबाई पुत्री रामदास पत्नी राजेश उम्र 18 साल निवासीगण - सराय मौजा तहसील चंदेरी जिला-अशोकनगर म0प्र0	
.....आरोपीगण	
राज्य द्वारा	:- श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपीगण द्वारा	:- श्री दीपक श्रीवास्तव अधिवक्ता।

-: निर्णय :-

(आज दिनांक 08.02.2017 को घोषित)

01- आरोपीगण के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 294, 341, 324/34, 323 (दो-शीर्ष), 506 भाग 2 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कर आरोप है कि दिनांक 31.08.2015 को शाम लगभग 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादी के घर के बाहर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी अर्जुन को मां बहन की अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया तथा फरियादी अर्जुन को उस दिशा में जाने से रोककर, जिस दिशा में उसे जाने का अधिकार था, सदोष अवरोध कारित किया तथा सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी अर्जुन की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त आशय के अग्रसरण में आप आरोपी रामदास ने फरियादी अर्जुन की सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की तथा सहअभियुक्तगण के साथ फरियादी अर्जुन की मारपीट करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त आशय के अग्रसरण में आहत फूलबाई व लखन की लात व लूँसो से मारपीट कर उन्हें स्वेच्छया उपहति कारित की तथा फरियादी अर्जुन को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर क्षोभ कारित कर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

02— प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि फरियादी, आहतगण एवं अभियुक्तगण के मध्य दिनांक 08.02.2017 को राजीनामा हो जाने से आरोपीगण रामदास, श्रीमती रामकली बाई, उर्मिलाबाई, विमलाबाई को भा.द.वि की धारा 294, 341, 323 (दो-शीर्ष), 506 भाग 2 के आरोप से दोषमुक्त किया गया।

03— अभियोजन का पक्ष संक्षेप में है कि फरियादी अर्जुन ने अपनी पत्नी फूलबाई उसके लडका लखन के साथ थाना चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 31.08.2016 को वह व उसकी पत्नी अपनी ससुराल नानोन से मोटरसाईकिल से वापस घर आए। मोटरसाईकिल से उतरकर उसकी पत्नी घर में चली गई और फरियादी बाहर खड़ा था तभी फरियादी का मजला भाई रामदास आया और उसे घर के सामने रोक लिया व मां बहन की बुरी बुरी गालियां देकर बोला कि उसके मुर्गा-मुर्गी उसके घर में घुस जाते हैं। उसने कहा गालियां मत दो वह अपने मुर्गा-मुर्गी को बंध करके रखूंगा, अब उसके घर में नहीं जाएंगे। इसी बात पर आरोपी रामदास बोला कि उससे से मुंह चलाता है और उसे सरिया से सिर में मार दिया, चोट लगकर खून निकल आया। इतने में आरोपी पत्नी रामकली व दोनों लड़कियां उर्मिला, विमला भी आ गई और चारों ने मिलकर उसकी लात घुसो से मारपीट करना शुरू कर दिया। फरियादी के बड़े भाई का लडका खुशीलाल चिल्लाया कि चाची जल्दी आओ चाचा की मारपीट हो रही है, चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्जुन की पत्नी व लडका लखन आ गये तो आरोपीगण ने उनकी भी मारपीट कर दी, जिससे उन्हें भी चोट आई। आरोपी रामदास ने कहा कि अब तेरे मुर्गा-मुर्गी उसके घर में घुसे तो जान से खत्म कर देगा। पुलिस ने अन्वेषण के दौरान घटना स्थल का नक्शामौका बनाया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये। आरोपीगण को गिरफ्तार किया तथा अन्वेषण की अन्य औपचारिकताएं पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।

04— अभियुक्तगण को आरोपित धाराओं के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाये, समझाये जाने पर अभियुक्तगण द्वारा अपराध किये जाने से इंकार किया गया तथा विचारण चाहा गया। प्रकरण में अभियुक्तगण के विरुद्ध कोई तथ्य व परिस्थिति प्रकट न होने से अभियुक्त परीक्षण नहीं किया गया तथा अभियुक्तगण की ओर से बचाव में कोई साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— राजीनामा उपरांत प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न हैं कि :-

1. क्या अभियुक्तगण द्वारा दिनांक दिनांक 31.08.2015 को शाम लगभग 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादी के घर के बाहर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी अर्जुन को सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी रामदास ने फरियादी अर्जुन की सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की ?

: : सकारण निष्कर्ष : :

06— अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को संदेह से परे प्रमाणित करने का भार अभियोजन में निहित होता है। घटना के संबंध में अर्जुन अ0सा01 ने उसके न्यायालयीन कथनों में बताया कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना करीब ढेड साल पहले की होकर शाम 7 बजे की है। घटना दिनांक को वह अपनी ससुराल नानोन से अपनी पत्नी फूलबाई के साथ लौटकर आया तो आरोपी रामदास मुर्गा मुर्गीयो को लेकर उसके बच्चों को डाट रहा था। उसने रामदास से कहा कि उसके बच्चों को क्यों डाट रहे हो, इसी बात को लेकर रामदास ने उसके साथ गाली गलौच करने लगा। फरियादी ने गाली देने से मना किया तो रामदास उससे झगडने लगा और धक्का मुक्की में गिरने से उसे चोट आ गई थी। झगडे की आवाज सुनकर आरोपी रामदास की पत्नी रामकली, उर्मिला, विमलाबाई आ गई थी, जिनसे भी उसकी नोंक झोक हो गई थी।

07— अर्जुन अ0सा01 ने बताया कि घटना स्थल पर उसकी पत्नी फूलबाई और उसका बेटा लखन भी आ गये थे जिनसे भी आरोपीगण की कहा सुनी और धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उन्हें भी चोटे आ गई थी। इसके अलावा आरोपीगण ने उनके साथ कोई घटना कारित नहीं की। घटना के संबंध में उसने थाना चंदेरी में रिपोर्ट कराई थी जो प्र.पी. 1 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने घटना स्थल का मानचित्र प्र.पी. 2 तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसका व उसकी पत्नी फूलबाई एवं बेटे लखन का मेडिकल कराया था और पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

08— अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी ने इस बात से इंकार किया कि आरोपी रामदास ने उसे सरिये से सिर में मारी थी चोट लगकर खून निकलने लगा था। इस बात से इंकार किया कि घटना के समय रामदास के अलावा उर्मिला, विमला, रामकली ने भी लात घुसो से उसकी पत्नी व उसके लडके लखन की मारपीट की थी। इस बात से इंकार किया कि घटना के समय उसके बडे भाई का लडका खुशीलाल बचाने के लिये आया था। साक्षी को उसकी पुलिस रिपोर्ट प्र.पी. 1 एवं पुलिस कथन प्र.पी. 3 का ए से ए भाग पढकर सुनाये व समझाये जाने पर साक्षी ने उक्त रिपोर्ट एवं कथन पुलिस को न देना व्यक्त किया पुलिस ने कैसे लेखबद्ध कर लिया उसका कारण नहीं बता सकता। इस बात को स्वीकार किया कि उसका उसकी पत्नी फूलबाई एवं बेटे लखन का आरोपीगण से स्वेच्छया राजीनामा हो गया है।

07— फूलबाई अ0सा02, लखन अ0सा03 ने उनके न्यायालयीन कथनों में आरोपीगण को जानने वाली बात बताई किन्तु उन्होंने अभियोजन कहानी का लेसमात्र भी समर्थन नहीं किया केवल उनके न्यायालयीन कथनों में बताया कि आरोपीगण से धक्का मुक्की हो गई थी जिससे उन्हें चोटे आई थी। इसके अलावा कुछ नहीं हुआ था। अभियोजन अधिकारी द्वारा फूलबाई अ0सा02, लखन अ0सा03 से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उसने इस बात से इंकार किया कि आरोपी रामदास द्वारा अर्जुन को सरिये से मारा गया था जिससे अर्जुन को चोटे आई थी। इस प्रकार घटना के फरियादी अर्जुन,

आहत फूलबाई एवं लखन ने आरोपीगण द्वारा उनके साथ मारपीट करने वाली बात से स्पष्टतः इंकार किया है एवं उक्त साक्षीगण ने इस बात से भी इंकार किया कि रामदास ने अर्जुन की सरिये से मारपीट की थी। इसके विपरित उक्त साक्षीगण ने धक्का मुक्की में चोटे आना व्यक्त किया है एवं उक्त चोटे आरोपीगण द्वारा नहीं पहुँचाई जाना व्यक्त किया है।

08— उपरोक्त संपूर्ण विश्लेषण में आई साक्ष्य से अभियोजन अभियुक्त के विरुद्ध आरोपो को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्तगण द्वारा दिनांक 31.08.2015 को शाम लगभग 6 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत फरियादी के घर के बाहर सार्वजनिक स्थान पर फरियादी अर्जुन को सामान्य आशय के अग्रसरण में आरोपी रामदास ने अर्जुन की सरिया से मारपीट कर उसे स्वेच्छया उपहति कारित की। अतः अभियुक्तगण **रामदास, श्रीमती रामकली बाई, उर्मिलाबाई, विमलाबाई निवासीगण ग्राम सराय मौजा थाना चंदेरी जिला अशोकनगर** को भा.द.वि. की धारा 324/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक लोहे का सरिया मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे, अपील होने पर माननीय अपीलिय न्यायालय के आदेशानुसार कार्यवाही की जावे।

11— अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण, जांच, विचारण के दौरान निरोध में विताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द0प्र0स0 का प्रमाण पत्र तैयार कर प्रकरण में संलग्न किया जावे

12— अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित कर
हस्ताक्षरित, दिनांकित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया।

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0

साजिद मोहम्मद
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी, जिला अशोकनगर म0प्र0